

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

सबने ठाना षहर को स्वच्छ बनाना

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत साई कल यात्रा में षा मल नागरिकों ने लया संकल्प

प्रत्येक र ववार होगी स्वच्छता साई कल यात्रा

रतलाम 24 जनवरी । स्वच्छता की दौड में इस बार रतलाम षहर नम्बर 1 बनकर रहेगाए

स्वच्छता से जुडे नियमों का पालन हर कोई करेगा साथ ही इसके लए दूसरों को भी प्रेरित

कया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नागरिकों की भागीदारी जरूरी है और सभी षहर के

प्रति अपना फर्ज निभाएँ और साई कल दौड के माध्यम से रतलाम नगर को भी नम्बर 1 बनाए।

रतलाम षहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने की मुहिम के चलते यह संकल्प र ववार को नगर

निगम द्वारा आयोजित साई कल यात्रा में षा मल अनेको युवाओंए बच्चों व महिलाओं ने लया।

साई कल यात्रा की षुरूआत दो बत्ती स्थित काला घोडा चौराहा से हुई। यहां निगम आयुक्त श्री

सोमनाथ झारिया ने स्वंग साई कल पर सवार होकर हरी झण्डी दिखाई।

दो बत्ती से षुरू हुई साई कल यात्रा छत्रीपुलए नगर निगम तिराहाए कालेज रोडए नाहरपुराए

डालू मोदी बाजारए गणेष देवरीए बजाज खानाए तोपखानाए नीमचौकए लौहार रोडए आबकारी

चौराहाए षहीद चौकए लोकेन्द्र टॉकजए न्यू रोड होते हुए पुनः काला घोडा चौराहा पंहूची।

साई कल यात्रा के समापन अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने उपस्थितजनों को स्वच्छता

की षपथ दिलाई।

बच्चो ने कहा स्वच्छता ही स्वस्थता की कुंजी है

इस मौके पर साई कल यात्रा में षरीक हुए बच्चों ने स्वच्छता का महत्व बताते हुए कहा क

स्वच्छता ही स्वस्थता की कुंजी है। हमें अपने घरए दुकानए व्यावसायिक प्रतिशठानों के साथ ही

अपने आसपास के क्षेत्र सहित संपूर्ण नगर को साफ व स्वच्छ रखने में अपना योगदान देना

चाहिये। घरए दुकानए व्यावसायिक प्रतिशठानों से निकलने वाले कचरे का पृथक्कीकरण कर

निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागो में डालना चाहिये।

आकर्शक रांगोली को सराहा

साई कल यात्रा के दौरान सफाई मत्र समूह ने आकर्शक रांगोली के माध्यम से स्वच्छता

का संदेश दिया जिसे उपस्थितजनों ने काफी सराहा। समूह ने दो बत्तीए न्यू रोड सहित षहर के

प्रमुख आधा दर्जन चौराहों पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता संदेश दिया।

साई कल यात्रियों को मला सम्मान

रतलाम षहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने की मुहिम को लेकर आयोजित साई कल यात्रा

में षा मल साई कल सवारों को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रषस्ति पत्र देकर

सम्मानित कया। इस अवसर पर नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के टीम लीडर वजय

गुप्ता व अन्य सदस्यों ने निगम आयुक्त श्री झारिया व निगम अधकारियों का सम्मान प्रतीक

चन्ह भेंट कर कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क साई कल यात्रा में बालक-बा लका व युवाओं के

उत्साह को देखते हुए अब प्रत्येक र ववार को स्वच्छता साई कल यात्रा का आयोजन कया

जायेगा जिसके समय व स्थल की जानकारी पृथक से दी जायेगी।

आयोजित साई कल यात्रा में रतलाम साई कल क्लबए पैडल फॉर फटनेस क्लबए इप्काए

पष्चिम रेलवे के साई कल सवारो के अलावा उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री

सुरेषचन्द्र व्यासए श्री जी.के. जायसवालए स्टेशन रोड थाना प्रभारी श्री कषोर पाटनवाला के अलावा निगम अधकारी सर्वश्री एम.के. जैनए ए.पी. सिंहए सत्यप्रकाश आचार्यए रामचन्द्र शर्माए राजेन्द्र मश्राए बी.एल. चौधरीए विकास मरकामए सद्धार्थ सोनीए मनीश तिवारीए कपील मारोठियाए नितिन तिवारीए बलवंत राठौरए वासुदेव बैरागीए टीम आस्था के सदस्य सर्वश्री फरोज परवेजए राहुल सिंह राठौरए स्वागत मेहताए संस्कार गुप्ताए चेतन पडहारए मंगल मालवीय सहित जनप्रतिनिधए नागरिकए बालक-बालिकाए आदि सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम का संचालन सोनिया मीणा व श्री शैलेन्द्र गोठवाल ने संयुक्त रूप से किया व आभार कार्यपालन यंत्री श्री सुरेषचन्द्र व्यास ने माना।

निगम भवन पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया करेंगे ध्वजारोहण

रतलाम 24 जनवरी । 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर निगम भवन पर प्रातः 7:30 बजे निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ध्वजारोहण करेंगे। निगम भवन पर प्रातः 7:30 पर आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में निगम अधकारीए कर्मचारी आदि मौजूद रहेंगे।

26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पशु वध करनाए मटन वक्रय प्रतिबंधित

रतलाम 24 जनवरी । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस वक्रय की दुकानों पर पशुवध करनाए मटनए गौशत वक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौशत वक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के वरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

गंदगी करने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 24 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के व भन्ने स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सतत निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की इयूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी करने पर राज रोशन सज्जन मल रोड पर 1000ए आशापुरा रेस्टोरेंट राम मंदिर पर 250ए एजाज अहमदए राजकमल सज्जन मल रोड व कामाक्षी रेस्टोरेंट राम मंदिर पर 100.100 रुपये का स्पॉट फाईन पीओएस मशीन के माध्यम से ऑन लाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व

मलबा फैलाने अतिक्रमण करने पर संबंधितों के वरुद्ध जुर्माना कये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

वनोबा नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 4ए88ए000ए. संपत्तिकर व 1ए10ए785ए. जलकर जमा कराया

रतलाम 24 जनवरी । नागरिकों की सुवधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली श वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये हैं जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित श वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस शुल्क एवं वकास शाखा से संबंधित भवन की कष्ट तथा भू-भाटक की बकाया रा श जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित श वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर श वर में संपत्तिकर 1ए10ए000ए. व जलकर 6ए000ए.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा श वर में संपत्तिकर 1ए40ए000ए. व जलकर 55ए775ए.ए अम्बे माता जवाहर नगर श्विरि में संपत्तिकर 2ए38ए000ए. व जलकर 49ए010ए. की रा श जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित श वरों में 4ए88ए000ए. संपत्तिकर व 1ए10ए785ए. जलकर की रा श जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली श वरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 व 5 के लये 25 व 27 जनवरी को वनोबा नगर पानी की टंकी के पासए वार्ड क्रमांक 6 व 7 के लये 28 जनवरी को अलकापुरी कम्यूनिटी हॉलए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लये 29 जनवरी को तिरूपति नगरए वार्ड क्रमांक 8 के लये 30 जनवरी को कोमल नगरए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लये 01 फरवरी को मार्निंग स्टार स्कूलए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लये 2 से 3 फरवरी तक कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामनेए वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लये 4 फरवरी को प्रयदर्षनी नगरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगरए वार्ड क्रमांक 46ए 47 व 48 के लये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिरए वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लये 09 फरवरी को कलीमी कालोनीए वार्ड क्रमांक 18 के लये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में श वर आयोजित कये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त श वर बकायादारों की सुवधा के लए आयोजित कये गये हैं इन आयोजित श वरों में बकायादार अपनी बकाया रा श जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 24 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु नगर निगम वकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटोए राशन कार्डए मतदाता परिचय पत्रए आधार कार्डए समग्र आई.डी.ए निःशक्त प्रमाण-पत्रए मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 24 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों एवं दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 24 जनवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें। उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 इस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 24 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 इस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा इस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपडाए शालए कांचए पैकंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला इस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए

थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला इस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला इस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व.हेमन्त/24ण01ण2021धन.पा.निगमए रतलाम.